बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

एचओ:एचआरओपीएस:116:2256

दिनांक : 07.10.2024

सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु सूचना

चिकित्सा बीमा विभाग,
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा जारी

महोदया/महोदय,

विषय : <u>आईबीए की चिकित्सा बीमा योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण: 2024-25</u>

हम सहर्ष सूचित करते हैं कि आईबीए द्वारा चिकित्सा बीमा योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी 2024-25 के नवीनीकरण की घोषणा की गई है।

आईबीए द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि इस उद्देश्य हेतु आरंभ की गई आरएफ़पी प्रक्रिया के पूर्ण होने के **बाद मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** को 1 नवंबर, 2024 से 31 अक्तूबर, 2025 तक की पॉलिसी अवधि के लिए बीमाप्रदाता के रूप में जारी रखा गया है।

<u>पॉलिसी नवीनीकरण की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:</u>

1. निम्नलिखित सेवानिवृत्त कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पत्नी/पति इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं (बेस पॉलिसी + टॉप अप पॉलिसी):
   - ए. वे सभी जो पिछले वर्ष (2023-24) सेवानिवृत्त समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवर किए गए थे।
   - बी. ऐसे कर्मचारी जो 01 अक्तूबर, 2023 से सितंबर, 2024 के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं/ वीआरएस का विकल्प चुना है।
   - सी. ऐसे कर्मचारी जो 01 अक्तूबर, 2023 से 30 सितंबर, 2024 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं और 01 अक्तूबर, 2024 से 31 अक्तूबर, 2024 की अवधि हेतु एक महीने की अंतरिम आईबीए की सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली है/ नहीं ली है।
   - डी. ऐसे कर्मचारी जो माह अक्तूबर 2024 अर्थात् अक्तूबर, 2024 से 31 अक्तूबर, 2024 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले है।
   - ई. ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी/ सेवानिवृत्त कर्मचारी के पति/ पत्नी जिनके द्वारा मौजूदा पॉलिसी की सदस्यता नहीं ली गई उनके पास भी एक बारगी समाधान के रूप में पॉलिसी वर्ष 2024-25 के लिए सदस्यता ग्रहण करने का विकल्प रहेगा।

   (कृपया ध्यान दें: सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा एक बार पॉलिसी से बाहर निकलने के पश्चात पुनः शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।)
2. आईबीए द्वारा सूचित किया गया है कि सेवारत कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पॉलिसी आरंभ होने की तारीख (01.11.2024) एक समान रहेगी।
3. सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पत्नी-पति को घरेलू इलाज सुविधा प्रदान **नहीं** की जाएगी।

प्रधान कार्यालय, मानवसंसाधन-परिचालन विभाग, बरौड़ा भवन, आर.असनं 576, आर.सीदत्त रोड, अलकापुरी, बरौड़ा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan, R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel.: 02652316625/26
Medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

117th FOUNDATION YEAR
TRUSTED TODAY | TRANSFORMING TOMORROW

4. समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (बेस + टॉप अप) के नवीनीकरण हेतु संशोधित नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:
   ए. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बेस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध बीमा राशि क्रमश: अवार्ड स्टाफ के लिए ₹3 लाख तथा अधिकारियों के लिए ₹4 लाख होगी।
   बी. सेवानिवृत्त लोगों के लिए टॉप-अप पॉलिसी की उपलब्ध बीमा राशि क्रमशः अवार्ड स्टाफ के लिए 4 लाख और अधिकारियों के लिए 5 लाख होगी।
   सी. घरेलू इलाज संबंधी खर्च बेस और टॉप-अप दोनों पॉलिसियों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
5. दवा की खरीद के सभी बिलों/रसीदों पर जारीकर्ता का **वैध जीएसटी नंबर (मुद्रित)** होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि यह शर्त केवल अस्पताल में भर्ती होने पर लागू होती है।

जैसा कि **मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** द्वारा सूचित किया गया है 01/11/2024 से 31/10/2025 की अवधि के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में पॉलिसी के नवीनीकरण हेतु निम्नलिखित विकल्प/वेरिएंट उपलब्ध हैं:

(i) <u>एकल व्यक्ति बीमाकृत राशि:</u>

एकल व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसी एक के रूप में परिभाषित किया गया है

- सेवानिवृत्त कर्मचारी, पति/पत्नी रहित (अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, कानूनी रूप से अलग) या
- सेवानिवृत्त कर्मचारी का पति/ पत्नी जीवित है (सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई है) या
- सेवानिवृत्त कर्मचारी को पति/ पत्नी के लिए बीमा कवर की आवश्यकता नहीं है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पति/ पत्नी कम दरों पर प्रीमियम का भुगतान करके एकल व्यक्ति के लिए लागू कवरेज का लाभ उठा सकते हैं। वे ₹3 लाख (अवार्ड स्टाफ)/ ₹4 लाख (अधिकारी) की बेस पॉलिसी के साथ-साथ ₹4 लाख (अवार्ड स्टाफ)/ ₹5 लाख (अधिकारी) के टॉप-अप विकल्प का चयन कर सकते हैं।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उद्धृत एकल व्यक्ति बेस और टॉप-अप पॉलिसियों के लिए प्रीमियम का विवरण निम्नानुसार है:

सेवानिवृत्त कर्मचारी - (एकल व्यक्ति) बेस पॉलिसी – घरेलू इलाज सुविधा रहित:

सेवानिवृत्त कर्मचारी बेस पॉलिसी - घरेलू इलाज सुविधा रहित		
	अवार्ड स्टाफ	**अधिकारी**
बीमाकृत राशि	300000	400000
प्रीमियम (₹)	21772	31195
18% जीएसटी सहित कुल प्रीमियम	25691	36810

प्रधान कार्यालय, मानवसंसाधन-परिचालन विभाग, बरौड़ा भवन, आर.असनं 576, आर.सीदत्त रोड, अलकापुरी, बरौड़ा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan, R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri,Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel.: 02652316625/26
Medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

117th FOUNDATION YEAR
TRUSTED TODAY | TRANSFORMING TOMORROW

सेवानिवृत्त कर्मचारी - (एकल व्यक्ति) टॉप-अप पॉलिसी - घरेलू इलाज सुविधा रहित:

सेवानिवृत्त कर्मचारी टॉप-अप पॉलिसी - घरेलू इलाज सुविधा रहित		
	अवार्ड स्टाफ	**अधिकारी**
बीमाकृत राशि	400000	500000
प्रीमियम (₹)	36991	45991
18% जीएसटी सहित कुल प्रीमियम	43649	54269

(ii) <u>फैमिली फ्लोटर बीमाकृत राशि:</u>

फैमिली फ्लोटर में सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके पति/ पत्नी शामिल हैं।

सेवानिवृत्त कर्मचारी बेस पॉलिसी ₹3 लाख (अवार्ड स्टाफ)/ ₹4 लाख (अधिकारी) के साथ टॉप-अप विकल्प ₹4 लाख (अवार्ड स्टाफ)/ ₹5 लाख (अधिकारी) का चयन कर सकते हैं।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उद्धृत फैमिली फ्लोटर बेस और टॉप-अप पॉलिसियों के लिए प्रीमियम का विवरण निम्नानुसार है:

सेवानिवृत्त कर्मचारी – (फैमेली फ्लोटर) बेस पॉलिसी - घरेलू इलाज सुविधा रहित:

सेवानिवृत्तों के लिए बेस पॉलिसी - घरेलू इलाज सुविधा रहित		
	अवार्ड स्टाफ	**अधिकारी**
बीमाकृत राशि	300000	400000
प्रीमियम (₹)	24191	34661
18% **जीएसटी सहित कुल प्रीमियम**	28545	40900

सेवानिवृत्त कर्मचारी - (फैमेली फ्लोटर) टॉप-अप पॉलिसी - घरेलू इलाज सुविधा रहित:

सेवानिवृत्तों के लिए - टॉप-अप पॉलिसी - घरेलू इलाज सुविधा रहित		
	अवार्ड स्टाफ	**अधिकारी**
बीमाकृत राशि	400000	500000
प्रीमियम (₹)	41101	51101
18% **जीएसटी सहित कुल प्रीमियम**	48499	60299

सेवानिवृत्त कर्मचारी/ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पत्नी/ पति पॉलिसी के वेरिएंट को पूरी तरह से समझने/ विश्लेषण करने के बाद अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त पॉलिसी विकल्प का चयन कर सकते हैं

प्रधान कार्यालय, मानवसंसाधन-परिचालन विभाग, बरौड़ा भवन, आर.असनं 576, आर.सीदत्त रोड, अलकापुरी, बरौड़ा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan , R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri,Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel.: 02652316625/26
Medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

विभिन्न प्रकार के पॉलिसी विकल्प/ कवरेज:- एकल या फैमिली फ्लोटर, घरेलू इलाज सुविधा रहित, टॉप अप सहित या रहित, सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है और पॉलिसी के नवीनीकरण/ पॉलिसी से जुड़ने के संबंध में भुगतान किए जाने वाले तदनुसार प्रीमियम (जीएसटी सहित) निम्नानुसार हैं:

संवर्ग	बीमाकृत राशि - बेस पॉलिसी	बीमाकृत राशि - टॉप-अप पॉलिसी	कुल बीमाकृत राशि (बेस + टॉपअप)	फैमिली फ्लोटर			एकल व्यक्ति		
				बेस पॉलिसी प्रीमियम	टॉप-अप पॉलिसी प्रीमियम	कुल प्रीमियम (बेस + टॉप-अप पॉलिसी)	बेस पॉलिसी प्रीमियम	टॉप-अप पॉलिसी प्रीमियम	कुल प्रीमियम (बेस + टॉप-अप पॉलिसी)
सेवानिवृत्त अधिकारी	400000	500000	900000	40900	60299	101199	36810	54269	91079
		शून्य	400000	40900	लागू नहीं	40900	36810	लागू नहीं	36810
सेवानिवृत्त अवार्ड स्टाफ	300000	400000	700000	28545	48499	77044	25691	43649	69340
		शून्य	300000	28545	लागू नहीं	28545	25691	लागू नहीं	25691

<u>बॉब स्टाफ पेंशनप्राप्तकर्ताओं के लिए विशेष वैयक्तिक ऋण:</u>

बैंक चिकित्सा बीमा पॉलिसी नवीनीकरण प्रीमियम के भुगतान में मदद करने के लिए **"बीओबी स्टाफ पेंशनप्राप्तकर्ताओं को विशेष वैयक्तिक ऋण"** प्रदान कर रहा है।

अधिकतम ऋण राशि, नवीनीकरण प्रीमियम राशि या ₹1,05,000/- जो भी कम हो, तक होगी और इसे अधिकतम 10 ईएमआई में चुकाया जा सकता है। इस ऋण योजना की प्रति **अनुलग्नक ए** के रूप में संलग्न है। यह ऋण सुविधा **24 अक्तूबर, 2024** तक प्राप्त की जा सकती है।

ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/ अवार्ड स्टाफ/ फैमिली पेंशनप्राप्तकर्ता, जो यह ऋण सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, अपनी पेंशन भुगतानकर्ता शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

शाखा द्वारा संवितरित ऋण राशि पेंशनप्राप्तकर्ता के उस बचत खाते में जमा की जाएगी जिसमें मासिक पेंशन जमा की जाती है।

हमें विश्वास है कि यह ऋण योजना पेंशनप्राप्तकर्ताओं द्वारा एक ही बार में उच्चतर प्रीमियम राशि के भार का वहन करने संबंधी कठिनाई को कम करेगी।

पेंशन भुगतानकर्ता शाखा द्वारा ऋण चुकौती की किस्त प्रत्येक माह काटी जाएगी।

महत्वपूर्ण बिंदु:

ए. ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी/ सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों की पत्नी/पति, जो वर्ष 2024-25 की पॉलिसी में शामिल होने के इच्छुक हैं, **वे अपना विकल्प 24 अक्तूबर, 2024 तक एचआर कनेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन** प्रस्तुत कर सकते/ सकती हैं।

<u>समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 2024-25 के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन बैंक के एचआरकनेक्ट</u>

प्रधान कार्यालय, मानवसंसाधन-परिचालन विभाग, बरौड़ा भवन, आर.असनं 576, आर.सीदत्त रोड, अलकापुरी, बरौड़ा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan, R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri,Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel.: 02652316625/26
Medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com

मॉड्यूल में मेडिकल इंश्योरेंस टाइल के तहत दिनांक 07.10.2024 से 24.10.2024 तक उपलब्ध रहेगा जिसका पाथ निम्नानुसार है:

https://hrconnect.bankofbaroda.co.in ----> 'Medical Insurance' Tile.

(मेनू स्वतः स्पष्ट है।)

अपने यूजर आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें (उदाहरणार्थ:- यदि सेवानिवृत्त स्टाफ का नाम राम मोहन है और कर्मचारी कूट संख्या 1234 है तो उपयोगकर्ता आईडी RM001234 होगी)

नोट: - कर्मचारी कूट संख्या में छह अंक होना अनिवार्य है।

एचआरकनेक्ट से जुड़े हुए पंजीकृत मोबाइल नंबर/ ईमेल आईडी (कोई एक पर्याप्त होगा) पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।

बी. ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी/ सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों की पत्नी/ पति, जो वर्ष 2024-25 की पॉलिसी में शामिल होने के इच्छुक हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी एचआर कनेक्ट और पेंशन भुगतान खाते/ प्रीमियम भुगतान खाते में लिंक/ पंजीकृत है।

सी. ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करते समय चैक किए जाने वाले विवरण:

i. खाता संख्या
ii. शाखा का आईएफएससी कोड

डी. कृपया नोट करें कि बीमा पॉलिसी का स्वतः नवीकरण नहीं किया जाएगा। अत: वे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो चिकित्सा बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं, उनके लिए एचआर कनेक्ट में 24 अक्टूबर 2024 तक विकल्प प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा बीमा कवर का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

ई. चुने गए विकल्प के अनुसार 25 अक्तूबर, 2024 को प्रीमियम उस खाते से डेबिट होगा जो उनके द्वारा विकल्प प्रस्तुत करते समय दिया गया है। अतः **यह सूचित किया जाता है कि संबंधित खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखें।**

एफ. ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए विकल्प को खाते से प्रीमियम राशि डेबिट करने हेतु प्राधिकार समझा जाएगा।

जी. एक बार ऑनलाइन विकल्प का चयन करने के बाद, 24 अक्तूबर, 2024 के पश्चात् किसी और परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

i. एक बार प्रीमियम डेबिट हो जाने के बाद, विकल्प में किसी बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
ii. कृपया ध्यान दें कि प्रधान कार्यालय या किसी अन्य शाखा/ कार्यालय में नवीकरण विकल्प की हार्ड/ सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि आपके खाते में 25 अक्तूबर, 2024 को पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा माना जाएगा कि आप चिकित्सा बीमा पॉलिसी जारी रखने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार पॉलिसी का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

यह चिकित्सा बीमा चयनकर्ता की जिम्मेदारी है कि वे प्रीमियम राशि डेबिट करने के लिए निर्दिष्ट खाते में पर्याप्त शेष राशि रखना सुनिश्चित करें।

प्रधान कार्यालय, मानवसंसाधन-परिचालन विभाग, बड़ौदा भवन, आर.असनं 576, आर.सीदत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan, R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel.: 02652316625/26
Medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

117th FOUNDATION YEAR
TRUSTED TODAY | TRANSFORMING TOMORROW

कृपया ध्यान दें कि बैंक, आईबीए/ बीमा कंपनी को डेटा प्रदान करने में केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। दावों की जांच और निपटान का कार्य केवल बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा और इस प्रक्रिया में बैंक की कोई भूमिका नहीं है।

किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए कृपया medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com पर ई-मेल या 0265-2316625/ 6626/18 पर संपर्क करें।

भवदीय,

शैलेन्द्र सिंह

(शैलेंद्र सिंह)

मुख्य महाप्रबंधक – मानव संसाधन प्रबंधन

प्रतिलिपि:

1. भारत में स्थित सभी शाखाओं/ कार्यालयों से अनुरोध है कि सभी सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों की जानकारी के लिए इस नोटिस की एक प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें।
2. सभी शाखा प्रमुखों को सूचित किया जाता है कि सेवानिवृत स्टाफ सदस्यों हेतु उनके चिकित्सा बीमा पॉलिसी नवीकरण, प्रीमियम के भुगतान में सहायता प्रदान करने के लिए अनुलग्नक-बी के अनुसार योजना कोड **LAA 664** के तहत बीओबी स्टाफ पेंशनरों के लिए विशेष वैयक्तिक ऋण की सुविधा प्रदान करें।

नोट: किसी भी शाखा/ कार्यालय में विकल्प फॉर्म की हार्ड प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी।

प्रधान कार्यालय, मानवसंसाधन-परिचालन विभाग, बरौड़ा भवन, आर.असनं 576, आर.सीदत्त रोड, अलकापुरी, बरौड़ा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan , R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri,Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel.: 02652316625/26
Medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

117th FOUNDATION YEAR
TRUSTED TODAY : TRANSFORMING TOMORROW

HO:HROPS:116:2256

07.10.2024

NOTICE TO ALL RETIRED EMPLOYEES

ISSUED BY MEDICAL INSURANCE DEPARTMENT
HEAD OFFICE, BARODA

Madam/Sir,

Re: Renewal of Group Health Insurance Policy for Retired Employees under IBA Medical Insurance Scheme: 2024-25

We are pleased to inform that, the Indian Bank's Association (IBA) has announced the Renewal of Group Medical Insurance Policy for Retired Employees under IBA Medical Insurance Scheme for the policy year 2024-25

It is also informed by the IBA that, subsequent to the completion of RFP process initiated for the purpose **M/s. National Insurance Company Ltd.** has been retained as the Insurer for the Policy Period from 01st Nov 2024 to 31st Oct 2025.

The Salient Features of the renewal policy are as under:

1. Following Retired Employees / Spouse of Retired Employees are eligible to avail this year's policy (Base Policy + Top-up Policy):
    a. All those who were covered under the previous year (2023-24) Retiree Group Health Insurance Policy.
    b. Those Employees Retired / Voluntary Retired during 01st Oct 2023 to 30th Sept 2024.
    c. Those Employees who Retired during the policy period 01st Oct 2023 to 30th Sep 2024 and have / have not joined the one month's interim IBA Retirees Group Health Insurance Policy for the period from 1st October 2024 to 31st October 2024.
    d. Those Employees who would be retiring in the month of October 2024 i.e. from 01st Oct 2024 to 31st Oct 2024.
    e. Those Retirees/ Spouse of Retirees who had not subscribed to the current insurance policies will also have the option to join the policy for the policy year 2024-25 as a one-time measure.

    (Kindly Note - Once the retiree opts out of the policy, he will not be allowed to re-enter)
2. IBA has informed that there shall be a common date of commencement of policies (01.11.2024) for both Serving Staff and Retired Employees.
3. Domiciliary benefit will **NOT** be extended to Retirees/ Spouse of Retirees.
4. The terms and conditions for renewal of GHI policies (Base and Top-Up) are revised as under:
    a. The available Sum Insured of Base Policy for Retirees shall be 3 Lacs for Award staff and 4 Lacs for Officers respectively.

प्रधान कार्यालय, मानवसंसाधन-परिचालन विभाग, बड़ौदा भवन, आर.असनं 576, आर.सीदत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan , R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri,Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel.: 02652316625/26
Medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com

b. The available Sum Insured of Top-up Policy for Retirees shall be 4 Lacs for Award staff and 5 Lacs for Officers respectively.

c. Domiciliary expenses are not covered under both Base &Top-Up Policies.

5. All bills / receipts for purchase of medicine must bear **valid GST No. (Printed)** of the issuer. Please note that the Condition is applicable for only for hospitalization.

As informed by **M/s. National Insurance Company Ltd.** following options/ variants are available in connection with renewal of the Policy in respect of Retired Employees for the period from 01/11/2024 to 31/10/2025:

(i) Single Person Sum Insured:

Single person is defined as any of the following

- Retiree is without spouse (unmarried, divorced, widow, legally separated) OR
- Retiree is survived by spouse (Retiree has passed away) OR
- Retiree does not require the insurance cover for the spouse.

Retired employees/ Spouse of Retired employees can avail coverage as applicable for a Single Person by paying premium at reduced rates. They can opt for Base Policy of Rs.3 Lacs (Award Staff) / Rs.4 Lacs (Officer) along with Top-up options for Rs.4 Lacs (Award Staff) / 5 Lacs (Officer).

The details of premium for single person base & top-up policies as quoted by National Insurance Company is as under:

Retirees – (Single Person) Base Policies- WITHOUT DOMICILIARY:

Retirees Base Policies – Non- Domiciliary		
	Award Staff	**Officers**
Sum Insured	300000	400000
Premium (Rs.)	21772	31195
Total Premium with 18% GST	25691	36810

Retirees – (Single Person) TOP- Up Policies- WITHOUT DOMICILIARY:

Retirees TOP- Up Policies – Non- Domiciliary		
	Award Staff	**Officers**
Sum Insured	400000	500000
Premium (Rs.)	36991	45991
Total Premium with 18% GST	43649	54269

प्रधान कार्यालय, मानवसंसाधन-परिचालन विभाग, बड़ौदा भवन, आर.असनं 576, आर.सीदत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan , R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri,Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel.: 02652316625/26
Medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com

(ii) Family Floater Sum Insured:

Family Floater includes Retired Employee and Spouse.

Retired employees can opt for Base Policy of Rs.3 Lacs (Award Staff) / Rs.4 Lacs (Officer) along with Top-up Options for Rs.4 Lacs (Award Staff) / 5 Lacs (Officer).

The details of premium for family floater base & top-up policies as quoted by National Insurance Company is as under:

Retirees – (Family Floater) Base Policies- WITHOUT DOMICILIARY:

Retirees Base Policies – Non- Domiciliary		
	Award Staff	**Officers**
Sum Insured	300000	400000
Premium (Rs.)	24191	34661
Total Premium with 18% GST	28545	40900

Retirees – (Family Floater) TOP- Up Policies- WITHOUT DOMICILIARY:

Retirees TOP- Up Policies – Non- Domiciliary		
	Award Staff	**Officers**
Sum Insured	400000	500000
Premium (Rs.)	41101	51101
Total Premium with 18% GST	48499	60299

Retired Employees / Spouse of Retired Employees may opt for suitable Policy, matching their requirements after fully understanding / analyzing the policy variants.

Detailed Policy Options / Coverage: Single or Family Floater, Without Domiciliary, With or Without Top-up, available to Retired Employees and the corresponding premium to be paid **(Including GST)** for renewal / joining of policy are as given below:

Cadre	Sum Insured - Base Policy	Sum Insured Top - Up Policy	Total Sum Insured (Base + Top Up)	Family Floater			Single Person		
				Base Policy Premium	Top - Up Policy Premium	Total Premium (Base + Top - Up Policy)	Base Policy Premium	Top - Up Policy Premium	Total Premium (Base + Top - Up Policy)
Retired Officer	400000	500000	900000	40900	60299	101199	36810	54269	91079
		NIL	400000	40900	NA	40900	36810	NA	36810
Retired Award Staff	300000	400000	700000	28545	48499	77044	25691	43649	69340
		NIL	300000	28545	NA	28545	25691	NA	25691

प्रधान कार्यालय, मानवसंसाधन-परिचालन विभाग, बड़ौदा भवन, आर.असनं 576, आर.सीदत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan, R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri,Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel.: 02652316625/26
Medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com

SPECIAL PERSONAL LOAN TO BOB STAFF PENSIONERS:

Bank is extending **"Special Personal Loan to BOB staff pensioners"** to help them in payment of their Medical Insurance Policy renewal premium.

The maximum loan amount shall be up to the renewal premium amount or Rs.**1,05,000/-** whichever is less and can be repaid in maximum of 10 EMIs. Copy of this loan scheme is enclosed as **Annexure A,** the Loan may be availed up to **24th Oct, 2024.**

Those Retired Officers/ Award Staff/ Family Pensioner, who wish to avail loan may approach their pension paying Branch.

The Loan disbursed amount would be credited by the Branch to Pensioner's saving account, in which the monthly pension is being credited.

We are sure that this loan scheme will mitigate the hardships of having to bear the burden of the higher premium amount in one go.

The installment of Loan repayment will be deducted by the Pension Paying Branch every month.

Important Points:

a. All those Retired employees / Spouse of Retired employees, who wish to join the policy 2024-25, should submit their **OPTIONS ONLINE through HR Connect latest by 24-Oct-2024**.

   The Online Application for Renewal of GHI Policy 2024-25 will be active/ available from 07.10.2024 to 24.10.2024 on Bank's HR Connect Module under Medical Insurance Tile, path of which is given below:

   https://hrconnect.bankofbaroda.co.in ------> 'Medical Insurance' Tile (The menu is self-explanatory)

   Login by using your User Id, (Example:- Retiree Name is Ram Mohan and EC No. is 1234, then User Id is RM001234)

   Note: EC No. must consist Six Numeric Digits.

   An OTP will be received on registered Mobile Number/ Email Id (Any one will be sufficient), which is linked with HR Connect.

b. All those retired employees / Spouse of Retired employees, who wish to join the policy 2024-25, must ensure that, his / her Mobile Number / Email Id is linked / registered in HR Connect & Pension paying Account / Premium paying Account.

c. Details to be checked at the time of submitting online option:
   i. Account number
   ii. IFSC code of Branch.

d. **Kindly note that there will be NO AUTO RENEWAL of the Insurance Policy. Hence, those retirees who want to avail medical insurance policy must compulsorily submit option for the same in HR Connect by 24th Oct 2024 failing which insurance cover will not be extended.**

e. The premium as per the Option exercised will be debited on **25th October 2024,** from their Account which would be provided by them at the time of submission of the Option. **It is therefore advised that sufficient balance be kept in the given account.**

f. Options submitted online will be treated as the authority to debit the account for premium amount.

प्रधान कार्यालय, मानवसंसाधन-परिचालन विभाग, बड़ौदा भवन, आर.एस.नं 576, आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan , R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri,Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel.: 02652316625/26
Medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com

g. Once option is exercised online, NO further change would be allowed after 24th Oct 2024.
   i. Once the premium is debited, no change in option will be allowed.
   ii. Please note that NO HARD/ SOFT Copy of the renewal option needs to be submitted at Head Office or any other Branch / Office.

If sufficient balance is not available on 25-OCT-2024 in your account, it shall be construed that, the concerned is not interested in continuing the Medical Insurance Policy and accordingly the Renewal of the Policy shall NOT be effected.

IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE MEDICAL INSURANCE OPTEE TO ENSURE MAINTENANCE OF ADEQUATE BALANCE IN THE DESIGNATED ACCOUNT FOR DEBITING THE PREMIUM AMOUNT.

Kindly note that Bank acts only as an intermediary in providing data to the IBA / Insurance Company. The claims shall be scrutinized & settled by the Insurance Company only and the Bank has no role in the process.

For any further clarification please email at: medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com or contact at 0265-2316625 /26 /18.

Yours Faithfully,

(Shailendra Singh)
Chief General Manager - HRM

Copy to:

1. All branches/Offices in India for information with the request to display a copy of this notice on your notice board for benefit of all retired staff members.
2. All Branch Heads are advised to extend the Special Personal Loan to BOB staff Pensioners as per Annexure – A, to help them in payment of their Medical Insurance Policy renewal premium under the scheme code **LAA 664**.

Note: No hardcopy of Option form to be accepted at any Branch/Office.

प्रधान कार्यालय, मानवसंसाधन-परिचालन विभाग, बड़ौदा भवन, आर.असनं 576, आर.सीदत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan , R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri,Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel.: 02652316625/26
Medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

117th FOUNDATION YEAR TRUSTED TODAY TRANSFORMING TOMORROW

Annexure-A

1	Target Group	All Retired Staffs (Including sub-staff) of Bank Of Baroda (Pensioners), who have opted for "Group Medical Insurance for Retirees" are required to remit the renewal premium for the same. (To National Insurance Company Ltd).
2	Purpose	a) Exclusively for funding the renewal premium amount of Group Medical Insurance for Retirees. b) No other purpose/ requirements to be considered under the scheme.
3	Maximum Amount of Loan	Up to the Renewal Premium amount (inclusive of GST) for the IBA Group Mediclaim Insurance for Retirees' or **Rs.1,05,000/-** whichever is lower.
4	Margin	Nil
5	Repayment Period	Maximum -10 - months (in EMI's)
6	Rate of Interest	One year BRLLR (Baroda Repo Linked Lending Rate) + Strategic Premium
7	Processing Charges	Nil
8	Prepayment charges	Nil
9	Penal Interest	Nil
10	Sanctioning Authority & Lending Powers	a) The Sanctioning Authority will be the Branch Head of the Bank where the retiree is maintaining pension account. b) DLP of Clean Loans shall be exercised by the Sanctioning Authority.
11	Documents to be submitted	a) Application Form (Existing application for Baroda Loan to Pensioners may be used). b) Details of EC No. / PPO No. etc.
12	Documentation	a) DP Note b) Letter of Instalment with Acceleration Clause. c) Declaration cum Undertaking cum Authority. d) Authority letter to recover monthly Instalment from pension account and to recover the instalment from family pension in case of demise of the retired staff member.
13	Other Conditions	a) The Loan sanctioned will be credited to the pension account of the retiree for payment of gross premium only. b) To ensure that the retiree is deprived of not getting insurance cover under the scheme, the disbursed amount to be credited to the Pension account of the retired employee. The procedure as advised by HRM Department from time to time should be followed for remitting the amount of premium. Monthly instalments to be recovered from the pension paid by the branch every month on the date of payment of pension without fail. Proper noting is to be made in the borrowers pension file regarding granting of the Loan to ensure that the pension payment is not transferred to any other branch during the EMI period.
14	Scheme code	Account should be opened in Finacle under the separate scheme code: **LAA 664**

प्रधान कार्यालय, मानवसंसाधन-परिचालन विभाग, बड़ौदा भवन, आर.असनं 576, आर.सीदत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan , R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri,Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel.: 02652316625/26
Medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com